(2024) 9 एस.सी.आर.166 : 2024 आईएनएससी 650

सीताराम शेट्टी

बनाम

मोनप्पा शेट्टी

(सिविल अपील सं0. 10039-40 वर्ष 20024)

02 सितम्बर 2024

(हृषीकेश राय और एस.वी.एन. भट्टी, रचयिता, न्यायमूर्तिगण)

विचारणीय मुद्दा

कर्नाटक स्टाम्प अधिनियम 1957 की धारा 33,34,37,39 की व्याप्ति; क्या अपीलार्थी को कब्जा के परिदान पर विवरण के साथ विक्रय करार दिनांक 29.06.1999 अधिनियम के अनुसूची की धारा 2(घ) सपठित अनुच्छेद 20(1) के अन्तर्गत हस्तांतरण पत्र के परिभाषा की पुष्टि करता है या नहीं; तथा मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों में, शास्ति जैसा लागू हो के निर्धारण तथा संग्रह हेतु लिखत जिला रजिस्ट्रार को भेजने के वजाय लिखत पर विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित शास्ति वैध है; क्या विचारण न्यायालय का उक्त आदेश जैसा उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेशों द्वारा पुष्ट है वैध तथा विधिमान्य है या इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप आवश्यक है।

शीर्ष टिप्पणियाँ

कर्नाटक स्टाम्प अधिनियम 1957-धारा 33, 34, 39- अपीलार्थी ने अपने बीच वाद करार के अन्तर्गत भागिक पालन के रूप में वादपत्र अनुसूची सम्पत्ति के अपने कब्जे में हस्तक्षेप करने से प्रत्यर्थी को रोकते हुए शाश्वत व्यादेश ईप्सित किया है - प्रत्यर्थी ने पूर्वोक्त विक्रय करार के निष्पादन से इंकार करते हुए अन्य बातों के साथ दावा किया है कि दस्तावेज को अपर्याप्त तरीके से स्टांपित किया गया था तथा इस प्रकार, साक्ष्य में अग्राह्य-वाद करार के परिबद्धकरण हेतु धारा 33 के अधीन आवेदन दाखिल-अंततः, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को स्टाम्प शुल्क के कमी तथा विक्रय करार के दस गुना शास्ति को अदा करने का निदेश दिया था। शास्ति के संग्रह तथा निर्धारण हेतु जिला रजिस्ट्रार को लिखत भेजने के बजाय लिखत पर न्यायालय द्वारा निर्धारित शास्ति यदि वैधः

अभिनिर्धारितः नही - साक्ष्य में लिखत के ग्रहण के प्रक्रम के पूर्व, प्रत्यर्थी ने स्टंाप शुल्क के कमी पर आक्षेप उठाया था- इसलिए प्रत्यर्थी जिसके द्वारा वाद करार को परिबद्ध करना तथा तत्पश्चात् धारा 39 के अधीन विचार करने के लिए जिला रजिस्ट्रार को भेजना आवश्यक था- प्रत्यर्थी ने वाद करार को परिबद्ध करने तथा स्टांप शुल्क एवं शास्ति के कमी को वसूलने का निवेदन किया था- विचारण न्यायालय को अभी धारा 34 के अधीन अपने अधिकारिता का प्रयोग करना था- इसके विपरीत, विचारण न्यायालय ने जिला रजिस्ट्रार से रिपोर्ट माँगा था इसलिए सभी प्रयोजन हेतु वाद लिखत को फिर भी एक या अन्य चरण पर वर्तमान निर्णय के पैरा 21 में सार प्रस्तुत किया जाता है। इस लिए प्रत्यर्थी के अनुरोध का अनुसरण करते हुए जिला रजिस्ट्रार के निर्णय पर विकल्प छोड़ा जाता है- यद्यपि वाद लिखत अपर्याप्त रूप से स्टांपित है, फिर भी धारा 34 के अधीन दस गुना का शास्ति आक्षेपित आदेशों के जरिए अधिरोपित किया गया था-इस मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों में इस समय पर दसगुना के शास्ति का

अधिरोपण अवैध तथा पैरा 21 में सार संक्षेपित चरणों के विरूद्ध है- लिखत जिला रजिस्ट्रार को भेजा जाता है, तत्पश्चात जिला रजिस्ट्रार धारा 39 के अधीन अपने अधिकारिता के प्रयोग में स्टंाप शुल्क के प्रमात्रा तथा लिखत पर देय शास्ति का विनिश्चय करता है- अपीलार्थी आक्षेपित आदेशों द्वारा इस विकल्प का खण्डन करता है-अपीलार्थी को अदा करना चाहिए जो देय है, लेकिन जैसा जिला रजिस्ट्रार द्वारा विनिश्चित है तथा न कि धारा 34 के अधीन न्यायालय द्वारा-स्टांप शुल्क के कमी के शास्ति का दस गुना अदा करने के निदेश को अपास्त किया जाता है।(पैरा 22,23)

कर्नाटक स्टांप अधिनियम, 1957 - धारा 33-35, 37, 39 - व्याप्ति- अपर्याप्त तरीके से स्टांपित लिखत - ग्रहण प्रक्रिया- चरण स्पष्टीकृत तथा सारसंक्षेपित। (पैरा 21-21.8)

कर्नाटक स्टांप अधिनियम, 1957-धारा 2(घ), अनुच्छेद, अधिनियम के अनुसूची का अनुच्छेद 20(1) - 'हस्तांतरण पत्र',

अभिनिर्धारित: अधिनियम के अनुसूची का अनुच्छेद 5 मूल्यानुसार स्टाम्प शुल्क अदा करने के शर्त तथा कब्जा (अधिनियम) के साथ विक्रय करार पर विचार करता है- यदि लिखत अधिनियम के अनुसूची की धारा 2(घ) सपठित अनुच्छेद 20(1) अधीन हस्तांतरण पत्र के शर्तों की पुष्टि करता है, लागू स्टांप शुल्क मूल्यानुसार है- वर्तमान मामले में, अपीलार्थी ने करार में कब्जा तथा मूल्यानुसार स्टांप शुल्क अदा करने के शर्त से संबंधित खण्ड के लागू होने पर बहस नही किया था तथा व्यादेश का अनुतोष वाद करार के अन्तर्गत प्रत्यर्थी द्वारा कब्जा के परिदान के आधार पर ईप्सित था । (पैरा 14)

कर्नाटक स्टांप अधिनियम, 1957- अधिनियम का उद्देश्य- चर्चा की गई। (पैरा 17)

कर्नाटक स्टांप अधिनियम, 1957-धारा 34, 39- के अन्तर्गत विभेद तथा विवेकाधिकार- प्रत्येक व्यक्ति/न्यायालय को उपलब्ध विवेकाधिकार में विभेद; जिला रजिस्ट्रार को प्रदत्त वैवेकिक अधिकारिता- चर्चा की गई।

उद्धृत निर्णय जन्य विधि

गंगप्पा तथा एक अन्य बनाम फक्कीरप्पा (2018) 13 एससीआर 603- भरोसा किया गया।

न्यासी एच.सी. धनदा ट्रस्ट बनाम मध्य प्रदेश राज्य तथा अन्य (2021) 11 एससीआर 268; चिलाकुरी गंगूलप्पा बनाम राजस्व मण्डलीय अधिकारी, मदन पल्ले (2001) 2 एससीआर 419; (2001) 4एससीसी 197; हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड बनाम दिलीप कन्स्ट्रक्शन कंपनी (1969) 3एससीआर 736; (1969)1 एससीसी 597; जिला रजिस्ट्रार तथा कलेक्टर बनाम केनरा बैंक (2004) अनुपूरक 5 एससीआर 833: (2005) 1 एससीसी 496; महाराष्ट्र राज्य बनाम नेशनल आर्गेनिक केमिकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (2024) 4एससीआर 340ः (2024) एससीसी आन लाइन एससी 497; चिरंजी लाल बनाम हरीदास (2005) अनुपूरक 1 एससीआर 359: (2005) 10 एससीसी 746; पेतीती सुब्बाराव बनाम अनुमला एस. नरेन्द्र (2002) 10 एससीसी 427- निर्दिष्ट।

दिगम्बर वारती तथा अन्य बनाम जिला रजिस्ट्रार बंगलौर नगरीय जिला तथा एक अन्य आईएलआर 2013 कर्नाटक 2099; के अमरनाथ बनाम श्रीमती पुतम्मा आईएलआर 1999 कर्नाटक 4634; सुमन बनाम विनायक तथा अन्य (2013) एससीसी आनलाइन कर्नाटक 10138; नियाज अहमद सिद्दीकी बनाम संगानेरिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (2023)

एससीसी आन लाइन कलकत्ता 1391; युनाइटेड प्रसिसन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम कियोसेल लिमिटेड (2016) एससीसी आनलाइन कर्नाटक 1077; श्री के. गोविन्द गौड़ा बनाम श्रीमती अक्कायम्मा तथा अन्य आईएलआर 2011 कर्नाटक 4719 - निर्दिष्ट।

अधिनियमों की सूची

कर्नाटक स्टांप अधिनियम, 1957, स्टांप अधिनियम, 1899

प्रमुख शब्दों की सूची

स्टाम्प शुल्क; स्टाम्प शुल्क की कमी; स्टाम्प शुल्क की कमी तथा शास्ति; शास्ति; स्टाम्प शुल्क तथा शास्ति का उद्ग्रहण; विक्रय करार; मूल्यानुसार स्टाम्प शुल्क; वाद लिखत अपर्याप्त रूप से स्टांपित; विक्रय करार पर दस गुना शास्ति; कब्जा का परिदान; हस्तांतरण पत्र; शास्ति का संग्रह; अपर्याप्त रूप से स्टांपित लिखत; साक्ष्य में अग्राह्य; जिला रजिस्ट्रार/उपायुक्त; शाश्वत व्यादेश; वाद करार के अन्तर्गत भागिक पालन; वाद करार का परिबद्धकरण।

मामले की उत्पत्ति

सिविल अपीलीय अधिकारिता: सिविल अपील सं0 10039-40 वर्ष 2024

क्रमशः रिट याचिका सं0 30734 वर्ष 2019 तथा पुनर्विलोकन याचिका सं0 340 वर्ष 2019 में कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगुलुरु के निर्णय तथा आदेश दिनांक 23-08-2019 तथा 14-09-2021 से

अधिवक्तागण

सुश्री लिज मैथ्यू, वरिष्ठ अधिवक्ता (न्यायमित्र), सुश्री मल्लिका अग्रवाल, सुश्री बागावती वी, अधिवक्तागण

परीक्षित अंगाडी, अनिरुद्ध संगनेरिया, अपीलार्थी के अधिवक्तागण।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

एस.वी.एन. भट्टी, न्यायमूर्ति

1. अनुमति प्रदान की गई है।

2. सिविल अपीले पुनर्विलोकन याचिका सं0 340 वर्ष 2019 तथा रिट याचिका सं0 30734 वर्ष 2019 मे आदेश दिनांक 14-09-2021 से उद्भुत होती है।

3. इन सिविल अपीलों में, कर्नाटक स्टाम्प अधिनियम, 1957 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 33, 34, 37 तथा 39 की व्याप्ति विचारार्थ उद्भूत होता है।

I. तथ्यात्मक आव्यूह

4. अपीलार्थी ने अपीलार्थी के शांतिपूर्ण कब्जा तथा वादपत्र अनुसूची सम्पत्ति के उपभोग में हस्तक्षेप करने से प्रत्यर्थी को रोकते हुए शाश्वत व्यादेश हेतु ओ.एस. सं. 295 वर्ष 2013 दाखिल किया था। वाद पत्र अनुसूची सम्पत्ति में मंगलौर तालुक के काबूर गांव में कृषि भूमि अन्तर्विष्ट है। व्यादेश हेतु अनुरोध इस अभिवाक् पर निर्भर है कि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के साथ विक्रय करार दिनांक 29-06-1999 किया था। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी द्वारा विक्रय करार दिनांक 29-06-1999 के अन्तर्गत भागिक पालन के रूप में वादपत्र अनुसूची सम्पत्ति पर काबिज कराये जाने का दावा किया है। करार द्वारा आच्छादित

अन्य खण्डों का उल्लेख वृतांत के रूप में नही किया गया है, क्योंकि सिविल अपीलों के निपटारे हेतु इनकी सुसंगतता नही है।

5. यह अभिकथित है कि प्रत्यर्थी ने वाद करार के अन्तर्गत भागिक पालन के रूप में दिये गये कब्जे के विरुद्ध अपीलार्थी को बेकब्जा करने का प्रयास किया था। इस कारण पक्षकारों के बीच नोटिसों का आदान प्रदान किया गया था। अपीलार्थी के वृत्तांत में अवलंब यह है कि विक्रय करार दिनांक 29-06-1999 पक्षकारों के बीच विद्यमान है तथा इसके अन्तर्गत भागिक पालन में, अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा वादपत्र अनुसूची सम्पत्ति पर काबिज किया गया था। अपीलार्थी को काबिज करने में पक्षकारों, के विचारों के मिलन के विरुद्ध, प्रत्यर्थी अपीलार्थी को वादपत्र अनसूची सम्पत्ति से बेकब्जा करने का प्रयास कर रहा था। इसलिए, शाश्वत व्यादेश के अनुतोष हेतु वाद दाखिल किया गया था। संक्षेप में बताया गया है कि विक्रय करार के अन्तर्गत दावाकृत कब्जा शाश्वत व्यादेश हेतु अनुरोध के जरिए संरक्षित किया जाना ईप्सित है।

6. प्रत्यर्थी विक्रय करार दिनांक 29.06.1999 के निष्पादन का खण्डन करता है। अपीलार्थी, चूँकि विक्रय करार के द्वारा कब्जा का दावा करता है, वाद करार को हस्तांतरण पत्र के रूप में माना जायेगा। वाद करार अपर्याप्त तरीके से स्टांपित है। इसलिए, दस्तावेज साक्ष्य में अग्राह्य है जब तक दस्तावेज को अधिनियम के शर्तों के अनुरूप नहीं बनाया जाता है।

6.1 प्रत्यर्थी ने अधिनियम के अनुसार स्टाम्प शुल्क तथा शास्ति के कमी को वसूलने के लिए वाद करार को परिबद्ध करने हेतु अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन दाखिल किया था। आदेश दिनांक 10-11-2016 द्वारा, विचारण न्यायालय ने विक्रय करार पर देय अपेक्षित स्टाम्प शुल्क तथा शास्ति के निर्धारण हेतु जिला रजिस्ट्रार को विक्रय करार दिनांक 29.06.1999 भेजा था। अभिलेख से प्रकट होता है कि जिला रजिस्ट्रार ने गांव के नाम के अभाव में वाद करार पर देय स्टाम्प शुल्क तथा शास्ति के कमी का निर्धारण करने की असमर्थता व्यक्त किया था, अतः, लिखत विचारण न्यायालय को वापस कर दिया था। तत्पश्चात, अपीलार्थी ने विक्रय करार के अनुसूची के गांव के नाम को स्पष्ट करने के लिए तात्पर्यित मेमो दिनांक 26-04-2017 दाखिल किया था। उक्त प्रयास का विरोध प्रत्यर्थी द्वारा किया गया था, अर्थात वाद करार में तात्विक विवरणों का कार्योत्तर सम्मिलित किया जाना; करार के अन्तरों को अपीलार्थी द्वारा नही भरा गया है जो प्रत्यर्थी के लिए हानिकर है। विचारण न्यायालय ने, प्रत्यर्थी के आक्षेप से सहमति जताते हुए, मेमो दिनांक 26-04-2017 को नामंजूर किया था। अपीलार्थी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 12-08-2017 को चुनौती देते हुए रिट याचिका सं0 8506 वर्ष 2018 दाखिल किया था। 10-08-2018 को, रिट याचिका को निपटाया गया था, तथा प्रवर्तनशील भाग इस प्रकार पठित है।

''तद्नुसार, आक्षेपित आदेश दिनांक 12-08-2017 के उपांतरण में, यह निदेशित किया जाता है कि वादी द्वारा दाखिल मेमो की प्रति विचारण न्यायालय द्वारा कार्यालय जिला रजिस्ट्रार को विधि के अनुसार समुचित कार्यवाहियों हेतु भेजा सकता है।

फिर भी, यह स्पष्ट किया जाता है कि वादी/याची द्वारा उल्लिखित गांव के नाम के संदर्भ में आदेश तथा प्रतिपादन की सुसंगतता मात्र स्टाम्प शुल्क तथा अन्य प्रभारों के कमी के गणना के प्रयोजन हेतु होगी लेकिन प्रश्नगत दस्तावेजों के यथार्थता तथा वैधता एवं इस प्रकार के आक्षेपों का प्रतिवाद करने के लिए वादी/याची के तत्समान अधिकार के बारे में वादी/ प्रत्यर्थी के निवेदनों सहित पक्षकारों के निवेदनों के गुणावगुण विचार से कोई संबंध नही होगा।''

7. जिला रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट दिनांक 10-11-2016 द्वारा लिखत पर देय रु.71,200/- स्टाम्प शुल्क के कमी का निर्धारण किया था। विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 23-01-2019 द्वारा अपीलार्थी को रु0 71,200 के स्टाम्प शुल्क तथा विक्रय करार दिनांक 29-06-1999 पर दस गुना शास्ति के कमी को अदा करने का निदेश दिया था। इस प्रकार, स्टाम्प शुल्क तथा शास्ति का कुल उदग्रहण रु. 7,83,200/- है। अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका सं0 30734 वर्ष 2019 में ओ0एस0 सं0 295 वर्ष 2013 में आदेश दिनांक 23-01-2019 पर अभ्याक्रमण किया था। रिट याचिका को खारिज किया गया था तथा अपीलार्थी को स्टाम्प शुल्क तथा शास्ति के कमी के भुगतान हेतु चार माह का समय दिया गया था। अपीलार्थी ने पुनर्विलोकन याचिका सं0 340 वर्ष 2019 दाखिल किया था तथा आक्षेपित आदेश दिनंाक 14-09-2021 द्वारा, पुनर्विलोकन याचिका को खारिज किया गया था। अतः, आदेशों दिनांक 23-01-2019 तथा 14-09-2021 पर आपत्ति करते हुए सिविल अपीलों को दाखिल किया गया है।

8. विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने विस्तारपूर्वक सभी विद्यमान परिस्थितियों को निर्दिष्ट किया है, अधिनियम के अन्तर्गत हस्तांतरणपत्र के परिभाषा को पूरा करने वाले विक्रय करार पर मूल्यानुसार स्टाम्प शुल्क अदा करने के लिए अधिनियम के अन्तर्गत कानूनी बाध्यता के मुकाबले में इनके विवक्षा का मूल्यांकन किया है तथा पुनर्विलोकन याचिका को खारिज किया है।

8.1 अधिनियम की धारा 33 न्यायनिर्णायक अधिकारियों से वाद करार पर देय शुल्क को परिबद्ध तथा निर्धारित करने की अपेक्षा करता है।

8.2 अधिनियम की धारा 34 स्टाम्प शुल्क तथा शास्ति के कमी के उदग्रहण का उपबंध करता है। धारा अभिव्यक्ति ''समुचित शुल्क या इसके भाग के कमी के धनराशि का दस गुना'' का प्रयोग करता है। इसलिए, शास्ति का अधित्याग करने या कम करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारियों को विवेकाधिकार नही दिया गया है।

8.3 दस गुना शास्ति के साथ स्टाम्प शुल्क के कमी के भुगतान पर साक्ष्य में वाद करार पर भरोसा किया गया है।

8.4 अधिनियम की धारा 34 तथा 39 में प्रयुक्त उद्धरण को भाषायी तरीके से अनुरूप नही किया जा सकता है, क्योंकि विधान मण्डल ने अधिनियम की धारा 39 के अधीन उपायुक्त को दिये गये विवेकाधिकार को उसी प्रकार से न्यायनिर्णायक प्राधिकारियों को अधिनियम की धारा 34 के अधीन निहित नही किया है।

8.5 निर्णयजन्य विधि पर भरोसा करते हुए, आक्षेपित आदेश में उल्लेख किया गया था कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारियों के पास किसी परिस्थिति में शास्ति का अधित्याग करने या कम करने के विधायी आदेश की अवज्ञा करने का विवेकाधिकार नही होता है। फिर भी विवेकाधिकार को शुल्क तथा शास्ति के भुगतान हेतु युक्तियुक्त समय देने के लिए विस्तारित किया गया है।

8.6 इस प्रकार, आक्षेपित आदेश के द्वारा, विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने निष्कर्ष निकाला था कि पुनर्विलोकन याचिका असफल होता है तथा अपीलार्थी को दस गुना शास्ति के साथ स्टाम्प शुल्क के कमी को अदा करने के लिए छह माह के अवधि का समय दिया जाता है।

9. अतः सिविल अपीले प्रस्तुत हैं।

10. हमने विद्वान अधिवक्ता तथा सुश्री लिज मेंथ्यू को सुना, जिसे न्यायालय की सहायता करने के लिए न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया गया है।

II. निवेदन

11. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया है कि वाद दस्तावेज अधिनियम के शर्तों की पुष्टि करता है तथा वाद व्यादेश के लिए था। सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचार करते हुए, यह तर्क दिया गया है कि भले ही वाद दस्तावेज सही तरीके से स्टांपित नही है लेकिन आदेश दिनांक 12.08.2017 तथा 10.08.2018 को ध्यान में रखते हुए, विचारण न्यायालय को अधिनियम की धारा 34 के अधीन स्टांप शुल्क तथा शास्ति के कमी का विनिश्चय करना चाहिए था। इसके वजाय विचारण न्यायालय को स्टांप शुल्क तथा शास्ति का निर्धारण करने के लिए जिला रजिस्ट्रार को परिबद्ध लिखत भेजना चाहिए था। तत्पश्चात, जिला रजिस्ट्रार अधिनियम की धारा 39 के अधीन अपने वैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग किया होता तथा अपीलार्थी द्वारा देय शास्ति के प्रमात्रा का निर्धारण किया होता। वर्तमान मामले में, विवाद शुल्क तथा शास्ति के निर्धारण हेतु जिला रजिस्ट्रार को उक्त दस्तावेज भेजने का अनुरोध करने वाले प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल आवेदन पर पैदा हुआ था। जिला रजिस्ट्रार ने देय स्टांप शुल्क पर रिपोर्ट भेजा है लेकिन वाद करार पर स्टांप शुल्क के कमी को वसूल नही किया है या शास्ति उदग्रहीत नही किया है। यह तर्क दिया गया है कि मामला अधिनियम की धारा 37(2) के अधीन आता है तथा आक्षेपित आदेशों द्वारा अपीलार्थी को जिला रजिस्ट्रार द्वारा शास्ति का विनिश्चय करवाने के विकल्प से इंकार किया है। इसलिए, विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 34 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अवैधता किया है।

12. विद्वान न्याय मित्र ने **गंगप्पा तथा एक अन्य बनाम फक्कीरप्पा (2018) 13 एससीआर 603: (2019) 3 एससीसी 788; न्यासी एच.सी. धंदा ट्रस्ट बनाम मध्य प्रदेश राज्य तथा अन्य (2020) 11 एससीआर 268: (2020) 9 एससीसी 510, दिगम्बर बारती तथा अन्य**

बनाम जिला रजिस्ट्रार बंगलौर नगरीय जिला तथा एक अन्य आईएलआर 2013 कर्नाटक 2099, के. अमरनाथ बनाम श्रीमती पुतम्मा आईएलआर 1999 कर्नाटक 4634, सुमन बनाम विनायक तथा अन्य (2013) एससीसी आन लाइन कर्नाटक 10138, नियाज अहमद सिद्दीकी बनाम संगानेरिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (2023) एससीसी आनलाइन कलकत्ता 1391, युनाइटेड प्रेसिसव इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम कियोसल लिमिटेड (2016) एससीसी आनलाइन कर्नाटक 1077, चिलागुरी गंगूलप्पा बनाम राजस्व मण्डलीय, मदन पल्ले (2001) 2 एससीआर 419: (2001) 4 एससीसी 197 तथा श्री के0 गोविन्द गौण्डा बनाम श्रीमती अक्कायम्मा तथा अन्य आईएलआर 2011 कर्नाटक 4719 पर भरोसा रखा है तथा प्रतिवाद किया है कि एक तरफ विधि द्वारा या पक्षकारों के सहमति द्वारा साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति तथा लोक पद के भार साधक प्रत्येक व्यक्ति तथा दूसरी तरफ उपायुक्त/जिला रजिस्ट्रार द्वारा साक्ष्य में अपर्याप्त तरीके से स्टांपित लिखतो को प्राप्त करने में अधिकारिता की व्याप्ति बाध्यकारी पूर्वनिर्णयों द्वारा स्पष्ट रूप से सुस्थापित है। अधिनियम की धारा 34 तथा 39 द्वारा आच्छादित दोनों भिन्न फोरमों में उपलब्ध विवेकाधिकार की व्याप्ति स्पष्ट रूप से सुस्थापित तथा परिभाषित है।

12.1 आगे यह तर्क दिया गया है कि चिलाकुरी गंगूलप्पा (ऊपर) में विनिश्चयाधार इस मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों पर लागू नही होता है। विचारण न्यायालय ने वाद दस्तावेज पर भरोसा करते हुए व्यादेश हेतु अनुरोध पर विचार करते हुए, अधिनियम की धारा 34 के अधीन अपने अधिकारिता का प्रयोग किया था। अधिनियम की धारा 37(2) के अधीन प्रक्रिया उन मामलों में उठता है जहाँ अधिनियम की धारा 37(1) आकृष्ट नही होता है। अधिनियम की धारा 39 के अधीन वैवेकिक अधिकारिता अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते समय जिला रजिस्ट्रार/उपायुक्त को एकमात्र है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 39 के विवेकाधिकार का प्रयोग करने की न्यायालय से अपेक्षा करना अयुक्तियुक्त है।

III. विश्लेषण

13. हमने अभिलेख का परिशील किया है तथा प्रतिद्वन्दी निवेदनों पर ध्यान दिया है। सिविल अपीलों में निम्न बिन्दु उठता है:

I. क्या अपीलार्थी को कब्जे के परिदान पर वृतांत के साथ विक्रय करार दिनांक 29.06.1999, अधिनियम के अनुसूची की धारा 2(घ) सपठित अनुच्छेद 20(1) के अन्तर्गत हस्तांतरण पत्र के परिभाषा की पुष्टि करता है या नहीं?

II. क्या, मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों में, विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 23-01-2019, जैसा आक्षेपित आदेश दिनांक 23-08-2019 तथा 14-09-2021 द्वारा पुष्ट है वैध तथा विधिमान्य है या भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप आवश्यक है?

प्रश्न 1

14. अन्य खण्डों में विक्रय करार दिनांक 29-06-1999, प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में कब्जा के अभिकथित परिदान के संबंध में निर्दिष्ट करता है। अधिनियम के अनुसूची का अनुच्छेद 5 कब्जा तथा मूल्यानुसार स्टाम्प शुल्क अदा करने के शर्त के साथ विक्रय करार पर विचार करता है। यदि लिखत अधिनियम के अनुसूची के धारा 2(घ) सपठित अनुच्छेद 20(1) के अन्तर्गत हस्तांतरण पत्र के शर्तों की पुष्टि करता है, लागू स्टाम्प शुल्क मूल्यानुसार होता है। दूसरे शब्दों में, मूल्यानुसार स्टाम्प शुल्क इस प्रकार के लिखतों पर अदा किया जाता है। अपीलार्थी के लिए उपस्थित होते हुए विद्वान अधिवक्ता नेे मूल्यानुसार स्टाम्प शुल्क अदा करने के शर्त तथा करार से कब्जा से संबंधित खण्ड के लागू होने पर तर्क नहीं दिया है। व्यादेश का अनुतोष वाद करार के अन्तर्गत प्रत्यर्थी द्वारा कब्जा के परिदान के आधार पर ईप्सित है। निम्न निर्णय सुसंगत है तथा वर्तमान मामले के परिस्थिति के निकट है तथा निर्दिष्ट किया जाता है।

14.1 गंगप्पा के मामले (ऊपर) न्यायालय के समक्ष पेश अपर्याप्त तरीके से स्टांपित दस्तावेज पर परिस्थिति का विश्लेषण था तथा अधिनियम की धारा 34 तथा 39 की तुलना किया था एवं अभिनिर्धारित किया कि प्रावधान द्वारा प्रदत्त विवेकाधिकार इन प्रावधानों के विषय तथा संदर्भ से भिन्न है। इस न्यायालय ने दिगम्बर वारती (ऊपर) में दिये गये विनिश्चयाधार की पुष्टि किया था तथा अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि कम किये गये शास्ति कोे अधिरोपित करने के लिए न्यायालय को विवेकाधिकार उपलब्ध नही कराया गया है, अधिनियम की धारा 38 इस प्रकार वसूले गये शुल्क को वापस करने के लिए उप कलेक्टर को सशक्त करता है। निर्णय के पैरा 18 में, यह लेखबद्ध किया गया है कि:

"18. कर्नाटक उच्च न्यायालय का उपरोक्त विचार कि धारा 33 के अन्तर्गत शुल्क वसूलने के मामले में दस्तावेज परिबद्ध करने का विवेकाधिकार प्राधिकारी में निहित नही होता है, सही है। उक्त परन्तुक में प्रयुक्त शब्द "होगा" है। धारा 33 तथा 34 स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि अधिरोपित शास्ति 10 गुना होना चाहिए। ***दिगम्बर वारती*** *(दिगम्बर वारती बनाम बंगलोर नगरीय जिला, 2012 एससीसी आनलाइन कर्नाटक 8776: आईएलआर 2013 कर्नाटक 2099) में कर्नाटक उच्च न्यायालय के खण्डपीठ ने अधिनियम की धारा 33 तथा 34 के प्रावधानों का ठीकठाक निवर्चन किया है। इस प्रकार मेरी राय है कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय (फक्कीरप्पा बनाम गंगप्पा 2014 एससीसी आनलाइन कर्नाटक (12775) में दिगम्बर वारती (दिगम्बर वारती बनाम बंगलौर नगरीय जिला, 2012 एससीसी आनलाइन कर्नाटक 8776: आईएलआर 2013 कर्नाटक 2099) में खण्डपीठ के निर्णय पर भरोसा करने में कोई त्रुटि नही किया था। इस प्रकार हमें आक्षेपित निर्णय (फक्कीरप्पा बनाम गंगप्पा 2014 एससीसी आनलाइन कर्नाटक (12775) में व्यक्त उपरोक्त विचार की अभिपुष्टि करना है।*

फिर भी, एक बारगी कार्यवाही के रूप में, इस न्यायालय ने दोहरे शास्ति जैसा विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित है के साथ शुल्क के कमी के भुगतान की पुष्टि करते हुए

मामले को समाप्त की अनुमति दिया था। पूर्व निर्णय ने अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत वैवेकिक सीमाओं का निर्वचन किया था।

14.2 **युनाइटेड प्रेसिसन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड** (ऊपर) में, अधिनियम की धारा 37(2) के अन्तर्गत उपायुक्त द्वारा प्रयोग किये गये शक्ति के विस्तार के संबंध में प्रश्न उठा था। न्यायालय ने संप्रेक्षित किया था कि अधिनियम की धारा 37(2) में अन्तर्विष्ट वाक्यांश ''प्रत्येक अन्य मामले में'' को समझना होगा जिसमें न केवल लिखत शामिल होगा जो मात्र परिबद्ध तथा निर्दिष्ट है बल्कि परिबद्ध लिखत भी शामिल होगा, जिसके संबंध में शुल्क तथा शास्ति का निर्धारण किया गया है लेकिन पक्षकार द्वारा संदत्त नही होगा। न्यायालय ने संप्रेक्षित किया था कि धाराओं के संयुक्त पठन के अनुसार, यदि परिबद्धकरण करने वाला प्राधिकारी अधिनियम की धारा 37(1) के अधीन शास्ति का निर्धारण करता है तथा तत्पश्चात, अधिनियम की धारा 37(2) के अधीन उपायुक्त को दस्तावेज भेजता है, तब उपायुक्त के पास अधिनियम की धारा 38 के अधीन शास्ति कम करने की शक्ति होगा। विनिश्चयाधार अधिनियम की धारा 37 तथा 38 के बीच पारस्परिक प्रभाव से संबंधित है।

15. वास्तव में, आक्षेपित आदेश, इन निर्णयों को निर्दिष्ट करता है। उच्च न्यायालय ने ठीक ही एक तरफ प्रत्येक व्यक्ति या लोक पद में व्यक्ति में तथा दूसरी तरफ अपर्याप्त रूप से स्टांपित लिखत पर देय शास्ति का निर्धारण करने में जिला रजिस्ट्रार मेंे निहित अधिकारिता का भेद किया है। सभी चारों में विनिश्चयाधार मामले के परिस्थितियों में लागू होता है। इसलिए, उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अपीलार्थी को साक्ष्य में वाद में विक्रय करार को पेश करने के विचार से स्टांप शुल्क तथा शास्ति के कमी को अदा करना चाहिए। हम इस निमित्त उच्च न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि कर रहे हैं। विचारार्थ अगला प्रश्न यह है कि क्या मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों में, शास्ति के निर्धारण तथा वसूली हेतु जिला रजिस्ट्रार को लिखत भेजने के बजाय लिखत पर न्यायालय द्वारा निर्धारित शास्ति जैसा लागू हो वैध है।

प्रश्न ॥

16. अधिनियम का अध्याय 4 आज्ञापक तथा विनियमनकारी दोनों हैं। धारा 33 विधि या पक्षकारों के सहमति द्वारा साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति तथा लोक पद के भार साधक प्रत्येक व्यक्ति (संक्षेप में, **प्रत्येक व्यक्ति/न्यायालय**) को आदेश देता है जब अपर्याप्त तरीके से स्टांपित लिखत को पेश किया जाता है, व्यक्ति को अपर्याप्त तरीके से स्टांपित लिखत को परिबद्ध करने के लिए आदेशित किया जाता है। विधि में, शब्द परिबद्ध विधि के अभिरक्षा में रखना अभिप्रेत है। (2003) 3 एससीसी 674। अपर्याप्त तरीके से स्टांपित दस्तावेज को विधिक अभिरक्षा में लेने के पश्चात, अधिनियम की धारा 33, 34, 37, 38 तथा 39 के बीच उपलब्ध पारस्परिक प्रभाव, जैसी भी स्थिति हो, प्रवर्तित होना शुरू हो जायेगा। अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (2) देय शुल्क, लिखत के मूल्य इत्यादि पर लिखत की जांच करने के लिए बाध्यता जकड़ता है। जब तक यह सम्यक् स्टांपित न हो, अधिनियम की धारा 34 प्रत्येक व्यक्ति/न्यायालय को साक्ष्य में

ग्रहण करने या अपर्याप्त तरीके से /अनुचित तरीके से स्टांपित लिखत पर कार्यवाही करने से रोकता है। स्टांप शुल्क तथा शास्ति के कमी के जमा के अधीन अधिनियम की धारा 34 का परन्तुक साक्ष्य में लिखत को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है जो अन्यथा अधिनियम की धारा 34 द्वारा निषिद्ध है।

17. अधिनियम का उद्देश्य साक्ष्य को अपवर्जित करना या पक्षकारों को तकनीकी आधारों पर बाध्यताओं से बचने में सक्षम बनाना नही होता है। बल्कि, उद्देश्य इस प्रकार के लिखतो से भी राजस्व प्राप्त करना होता है जो प्रथमतः अस्टांपित या अपर्याप्त तरीके से स्टांपित होता है। उक्त उद्देश्य में देय स्टांप शुल्क तथा शास्ति को वसूल करने एवं सहमत बाध्यताओं के बाध्यकारी पक्षकारों के लोक नीति के दो तत्व है। भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 के उद्देश्य पर इस न्यायालय के सात जजों के पीठ के निर्णय द्वारा विधि के घोषणा को निर्दिष्ट करना उपयुक्त है।

17.1 **रिः माध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम, 1996 तथा स्टांप अधिनियम, 1899** के अन्तर्गत माध्यस्थम करारों के बीच पारस्परिक प्रभाव (2024) 6 एससीसी 1 में इस न्यायालय के सात जजों की पीठ ने उल्लेख किया था कि भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 की धारा 35 (अधिनियम की धारा 34 के सदृश) स्पष्ट रूप से लिखत के स्टांप शुल्क से प्रभार्य होने की अपेक्षा करता है जो मात्र ''साक्ष्य में ग्रहण'' किया जायेगा यदि यह समुचित तरीके से स्टांपित है। इस न्यायालय ने आगे उल्लेख किया अनुचित तरीके से लिखत का स्टांपित करना उस लिखत को शून्य या अवैध नही बनाता है। इसके विपरीत, यह त्रुटि है जो अपेक्षित स्टांक शुल्क तथा शास्ति के भुगतान पर साध्य है सुसंगत पैरा इस प्रकार पठित है:

> *''54. स्टांप अधिनियम की धारा 35 स्पष्ट है। यह अनुबद्ध करता है, ''शुल्क से प्रभार्य लिखत साक्ष्य में ग्रहण नही किया जायेगा.....'' शब्द ''साक्ष्य में ग्रहण किया गया'' लिखत के ग्राहयता को निर्दिष्ट करता है। धारा 42 की उपधारा (2) भी कहता है कि लिखत जिसके संबंध में स्टांप शुल्क अदा किया गया है तथा जो पृष्ठांकित है ''साक्ष्य में ग्राह्य'' होगा। शुल्क अदा न करने या अपर्याप्त धनराशि अदा करने का परिणाम लिखत को अग्राह्य बनाता है तथा शून्य नहीं। स्टांपित न करने या अनुचित स्टांपित करने के परिणामस्वरूप लिखत अवैध नही होता है। स्टांप अधिनियम इस प्रकार के लिखत को शून्य नही बनाता है। स्टांप शुल्क का भुगतान न करने को सटीक तरीके से साध्य त्रुटि के रूप में पहचाना जाता है। स्वयं स्टांप अधिनियम उस तरीके का उपबंध करता है जिसमें त्रुटि को ठीक किया जा सकता है तथा इसके लिए विस्तृत प्रक्रिया वर्णित करता है। यह उल्लेख करता है कि कोई ऐसी प्रक्रिया नही है जिसके द्वारा शून्य करार को ठीक किया जा सकता है।''*

17.2 **हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड बनाम दिलीप कंस्ट्रक्शन कंपनी (1969) 3 एससीआर 736: (1969) 1 एससीसी 597** में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 राजस्व बढ़ाने के लिए आशयित राजकोषीय अध्युपाय है तथा स्टांप

अधिनियम के कठोर प्रावधानों का प्रयोग विरोधी के हेतुक को विफल करने के लिए हथियार के रूप में नही किया जा सकता है। सुसंगत पैरा इस प्रकार पठित है:

> *"7. स्टांप अधिनियम कतिपय श्रेणी के लिखतो पर राज्य के लिए राजस्व प्राप्त करने के लिए अधिनियमित राजकोषीय अध्युपाय हैः यह अपने विरोधी के मामले का सामना करने के लिए बारीकियों के हथियार से वादकारी को सुसज्जित करने के लिए अधिनियमित नही है। अधिनियम के कठोर प्रावधानों को एक बार राजस्व के हित में माना जाता है कि उद्देश्य विधि के अनुसार सुनिश्चित है, लिखत पर अपना दावा करने वाला पक्षकार लिखत में आरंभिक त्रुटि के आधार पर विफल नही होगा। इस आलोक में विचार करने पर स्कीम स्पष्ट है।*

17.3 **जिला रजिस्ट्रार तथा कलेक्टर बनाम कैनरा बैंक (2004) अनुपूरक 5 एससीआर 833: (2005) 1 एससीसी 496 तथा महाराष्ट्र राज्य बनाम नेशनल आर्गेनिक केमिकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (2024) 4 एससीआर 340: (2024) एससीसी आनलाइन एससी 497 तथा चिरंजीलाल बनाम हरिदास (2005) अनुपूरक 1 एससीआर 359: (2005) 10 एससीसी 746** में यह दोहराया गया कि भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 राजकोषीय विधान का एक भाग है, तथा न कि उदार निर्वचन को प्राप्त करने के स्थायी लोक नीति के मांग पर अधिनियमित उपचारात्मक कानून/राजकोषीय प्रावधान/ विधि का निर्वचन करने के लिए सिद्धांत स्पष्ट रूप से सुस्थापित है। साम्या या न्याय सम्मतता हेतु कोई गुंजाइश नही है यदि विधि का अक्षर उदग्रहण तथा वसूली के प्रणाली, ढंग तथा रीति में स्पष्ट एवं असंदिग्ध है। निर्णयों में आगे अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम धन के अस्वैच्छिक ऐंठने को अधिकृत करता है तथा इसलिए, राजकोषीय कानून के प्रकृति में है जिसका कड़ाई से निर्वचन किया जाना चाहिए।

17.4. अधिनियम की धारा 37 उस प्रक्रिया को अनुबद्ध करता है कि कैसे परिबद्ध लिखत पर विचार किया जाता है। अधिनियम की धारा 37(1) को स्पष्ट रूप से पढ़ने से प्रकट होता है कि अधिनियम की धारा 33 के अधीन लिखत तथा अधिनियम की धारा 34 के अधीन शास्ति या अधिनियम की धारा 36 के अधीन शुल्क को परिबद्ध करने वाला व्यक्ति उपायुक्त को इस प्रकार उद्गृहीत तथा वसूल किये गये शुल्क तथा शास्ति के धनराशि के साथ इस प्रकार के लिखत के प्रमाणित प्रति को भेजेगा। अधिनियम की धारा 37(2) उस लिखत से संबंधित है जो अधिनियम की धारा 34 या 36 के प्रक्रिया के अधीन नही है। अधिनियम की धारा 37(2) के अनुसार, लिखत इसकी ओर से जांच तथा निर्णय हेतु उपायुक्त को भेजा जाता है। उपायुक्त अधिनियम की धारा 39 के अधीन अधिकारिता प्राप्त करता है तथा तत्पश्चात अपर्याप्त तरीके से स्टांपित लिखत पर उद्गृहीत शुल्क तथा शास्ति का विनिश्चय करता है। इस पृष्ठभूमि में, हम प्रत्येक व्यक्ति/न्यायालय को प्राप्त विवेकाधिकार तथा जिला रजिस्ट्रार को प्रदत्त वैवेकिक अधिकारिता में अंतर पर अधिकथित सिद्धांत को ध्यान में रखते है। देखिए, **युनाइटेड प्रेसिसन इंजीनियर्स (ऊपर) तथा गंगप्पा (ऊपर)।**

अधिनियम की धारा 34 तथा 39 के अधीन उपलब्ध सुस्थापित भिन्नता तथा विवेकाधिकार अब अनिर्णीत विषय नही है।

18. उपरोक्त विचार वास्तव में अधिनियम की धारा 37(2) सपठित धारा 39 के अधीन अपीलार्थी के तर्क को पुष्ट नही करता है। अपीलार्थी ने प्रतिवाद किया है कि प्रत्यर्थीगण ने लिखत को परिबद्ध करने हेतु आवेदन दाखिल करते हुए, स्टांप शुल्क के कमी के होने तथा एक मात्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा वसूले गये शास्ति को अधिमानित किया है क्योंकि वाद दस्तावेज की ग्राह्यता या अन्यथा पर विचार अभी तक विचारण न्यायालय द्वारा किसी प्रयोजन हेतु नही किया गया है। अभिलेख से, ऐसा प्रतीत होता है कि अस्थायी व्यादेश को मंजूर या नामंजूर करने हेतु लिखत पर अंतर्वर्ती प्रक्रम पर विचार किया जाना संभाव्य है। इसलिए, अधिनियम की धारा 33 सपठित धारा 37 के अधीन उपलब्ध विकल्प को गतिमान किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप लिखत जिला रजिस्ट्रार को भेजा जाता है तथा रिपोर्ट मंगाया जाता है।

19. **न्यासी एचसी धंधा ट्रस्ट बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2020) 11 एससीआर 268: (2020) एससीसी आनलाइन एससी 753** में इस न्यायालय के तीन जजों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि स्टांप शुल्क के कमी के मामले में स्टांप कलेक्टर स्वयमेव या यांत्रिक रूप से भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 की धारा 40(1)(ख) (अधिनियम की धारा 39(1) (ख) के सदृश) के अन्तर्गत दसगुना शास्ति अधिरोपित नही कर सकता है। सुसंगत पैरा इस प्रकार पठित है:

> *"22. शास्ति का उद्देश्य सामान्यतया निवारक है प्रतिकार नही। जब विवेकाधिकार लोक प्राधिकारी को दिया जाता है, इस प्रकार के लोक प्राधिकारी को इस प्रकार के विवेकाधिकार का प्रयोग युक्तियुक्त तरीके से करना चाहिए तथा न कि दमनात्मक तरीके से। युक्तियुक्त तरीके से विवेकाधिकार का प्रयोग करने का दायित्व उन मामलों में अधिक होता है जहाँ कानून द्वारा निहित विवेकाधिकार युक्त होता है। **अत्यधिक शास्ति अर्थात शुल्क का दस गुना या इसके कमी वाले भाग का अधिरोपण शुल्क अपवंचन के तथ्य मात्र पर आधारित नही हो सकता है।** राजस्व से वंचित करने या अनुचित संवर्धन के लिए कारण जैसे कपट या धोखा इस निर्णय पर पहुँचने के लिए सुसंगत कारक है कि धारा 40(1) (ख) के अन्तर्गत शास्ति का विस्तार क्या होना चाहिए।*
>
> **(बल दिया गया)**

20. आगे, **पेतीती सुब्बाराव बनाम अनुमला एस. नरेन्द्र (2002) 10एससीसी 427** में, यह न्यायालय भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 में सदृश प्रावधानों कर्नाटक स्टांप अधिनियम 1957 §33, §34, §35, §36, §37, §38, §39, §40, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 §33, §25, §36, §37, §38, §39, §40 का निर्वचन करते हुए वैवेकिक सीमाओं पर ध्यान देता है कि:

"6. कलेक्टर के पास संबंधित व्यक्ति को शास्ति धनराशि के साथ समुचित शुल्क अदा करने के लिए आदेश देने की शक्ति है जिसे कलेक्टर को अन्तवलित सभी पहलुओं के प्रतिफलस्वरूप नियत करना पड़ता है। शास्ति धनराशि अधिरोपित करने में कलेक्टर पर अधिरोपित निर्बन्धन यह है कि किसी भी परिस्थिति में शास्ति धनराशि शुल्क के दस गुना या इसके कमी वाले भाग के परे नही जायेगा। **यह दूरतम सीमा है जो मात्र उस दूरतम स्थितियों में अभिप्रेत है जब शास्ति को उस सीमा तक अधिरोपित किये जाने की**

आवश्यकता है। हमारे लिए यह कहना अनावश्यक है कि कलेक्टर द्वारा स्वाभाविक रूप से शास्ति के अधिकतम् दर को अधिरोपित करना विधि द्वारा आवश्यक नही है जब कभी परिबद्ध दस्तावेज इसे भेजा जाता है। इसे संबंधित व्यक्ति के वित्तीय स्थिति सहित कई पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ता है।

(बल दिया गया)

21. अधिनियम के अध्याय 4 के अधीन धारा 33, 34, 35, 37 तथा 39 के अन्तर्गत उठाये गये कदमों के अनुसार, विधि में दृष्टिकोण सुस्थापित है तथा विधि के अक्षर तथा इस न्यायालय के पूर्णनिर्णयों द्वारा स्वतःसिद्ध है। फिर भी, इसके प्रयोग के क्रम में कुछ आशंकाए है। पद्धति तथा प्रक्रिया के लाभ हेतु, हम चरणों को निम्नवत् सार रूप से संक्षेपित करते है।

धारा 33: लिखतो की परीक्षा तथा परिबद्धकरण- (1) विधि या पक्षकारों के सहमति द्वारा साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति तथा पुलिस अधिकारी के सिवा लोक पद का भार साधक प्रत्येक व्यक्ति जिसके समक्ष इसके राय में शुल्क से प्रभार्य कोई लिखत पेश किया जाता है या इसके कार्यों के पालन में आता है, यदि इसे प्रतीत होता है कि इस प्रकार का लिखत सम्यक् स्टांपित नही है, इसे परिबद्ध करेगा (2) इस प्रयोजन हेतु यह अभिनिश्चिय करने के लिए प्रत्येक इस प्रकार का व्यक्ति इस प्रकार प्रभार्य तथा इस प्रकार पेश या अपने समक्ष आने वाले प्रत्येक लिखत की जांच करेगा कि क्या यह कर्नाटक राज्य में प्रवृत्त विधि द्वारा अपेक्षित मूल्य तथा अंकन के स्टाम्प से स्टांपित है जब इस प्रकार का लिखत निष्पादित किया गया था या सर्वप्रथम निष्पादित किया गया था (1-11-1973 से कर्नाटक विधि आदेश के अनुकूलन तथा अनुकूलित) परन्तु (क) इसमें अन्तर्विष्ट किसी बात को दाण्डिक न्यायालय के किसी मजिस्ट्रेट या जज द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 के अध्याय 12 या अध्याय 36 के अधीन कार्यवाही से भिन्न किसी कार्यवाही के अनुक्रम में अपने समक्ष आने वाले किसी लिखत की जांच या परिबद्ध करना आवश्यक नही समझा जायेगा, यदि वह ऐसा करना उपयुक्त नही समझता है (ख) उच्च न्यायालय के जज के मामले में, इस धारा के अधीन किसी लिखत की जाँच तथा परिबद्धकरण करने के कार्य को इस प्रकार के अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जा सकता है जैसा न्यायालय इस निमित्त नियुक्त करता है। (3) इस धारा के प्रयोजन हेतु, संदेह के मामले में, सरकार अवधारित कर सकती है- (क)किन पदो को लोक पद समझा जायेगा तथा (ख) जिसे लोक पदो का भार साधक व्यक्तियों के रूप में समझा जायेगा।

धारा 34. लिखत जो सम्यक् स्टांपित नही है का साक्ष्य इत्यादि में अग्राह्य होना- शुल्क से प्रभार्य लिखत को विधि या पक्षकारों के सहमति द्वारा साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्रयोजन हेतु साक्ष्य में ग्रहण नही किया जायेगा या इस प्रकार के किसी व्यक्ति द्वारा या किसी लोक अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकृत या प्रमाणित कार्रवाई नही की जायेगी, जब तक इस प्रकार का कोई लिखत सम्यक् स्टांपित नही होता है: परन्तु (क) इस प्रकार का कोई लिखत जो प्रभार्य लिखत नही है (शुल्क के साथ जो पन्द्रह नया पैसे से अनधिक है) या पच्चीस नया पैसे के

शुल्क के साथ धारा 3 के खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन प्रभार्य फसल का बंधक (अनुसूची का अनुच्छेद 1(35) 1(क)) को सभी न्यायपूर्ण अपवादों के अधीन शुल्क जिससे यह प्रभार्य है के भुगतान पर साक्ष्य में ग्रहण किया जायेगा या अपर्याप्त तरीके से स्टांपित लिखत के मामले में या पाँच रुपये के शास्ति के साथ इस प्रकार के शुल्क को एकत्रित करने के लिए आवश्यक धनराशि या समुचित शुल्क या इसके कमी वाले भाग के धनराशि का दस गुना इस प्रकार के शुल्क या भाग के दस गुना के बराबर धनराशि के पांच रुपये से अधिक होता है (1-10-1962 से अधिनियम 29 वर्ष 1962 द्वारा प्रतिस्थापित) (ख) जहाँ संविदा या किसी प्रकार का समझौता दो या अधिक पत्रों वाले पत्र व्यवहार द्वारा किया जाता है तथा पत्रों में किसी एक में समुचित स्टांप है, संविदा या करार को सम्यक् स्टांपित समझा जायेगा (ग) इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अध्याय 12 या अध्याय 36 के अधीन कार्यवाही से भिन्न दाण्डिक न्यायालय में किसी कार्यवाही में साक्ष्य में किसी लिखत को ग्रहण करने से नही रोकेगा (घ) इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात किसी न्यायालय में किसी लिखत को ग्रहण करने से नही रोकेगा जब इस प्रकार के लिखत को सरकार की ओर से या द्वारा निष्पादित किया गया है या जहाँ इसमें उपायुक्त का प्रमाणपत्र है जैसा धारा 32 या इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान द्वारा उपबंधित है (तथा इस प्रकार के प्रमाणपत्र को अध्याय 6 के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में पुनरीक्षित किया गया है (1-10-1962 से अधिनियम 29 वर्ष 1962 द्वारा पुनरीक्षित) (1-10-1962 से अधिनियम 29 वर्ष 1962 द्वारा अन्तःस्थापित)

धारा 35: लिखत का ग्रहण जहाँ आपत्ति नही की जाती है- जहाँ लिखत को साक्ष्य में ग्रहण किया गया है इस प्रकार के ग्रहण पर आपत्ति धारा 58 में उपबंधित के सिवा इस आधार पर एक ही वाद या कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर नही की जायेगी कि लिखत को सम्यक् स्टांपित नही किया गया है।

धारा 37: परिबद्ध लिखत पर कैसे विचार किया जाता है - (1) जब धारा 33 के अधीन लिखत का परिबद्धकरण करने वाले व्यक्ति के पास विधि या पक्षकारों के सहमति द्वारा साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार होता है तथा शास्ति जैसा धारा 34 द्वारा उपबंधित है या शुल्क जैसा धारा 36 द्वारा उपबंधित है के भुगतान पर साक्ष्य में इस प्रकार से लिखत को स्वीकार करता है, वह इसके संबंध में उद्गृहीत शुल्क तथा शास्ति के धनराशि को बताते हुए लिखित प्रमाणपत्र के साथ इस प्रकार के लिखत की प्रमाणित प्रति उपायुक्त को भेजेगा तथा इस प्रकार की धनराशि उपायुक्त को या इस प्रकार के व्यक्ति को जैसा वह इस निमित्त नियुक्त करे इस प्रकार की धनराशि भेजेगा (1. 1-10-1962 से अधिनियम 29 वर्ष 1962 द्वारा प्रतिस्थापित) (2) प्रत्येक अन्य मामले में लिखत को परिबद्ध करने वाला व्यक्ति इसे आरंभ में उपायुक्त को भेजेगा (1. 10-10-1962 से अधिनियम 29 वर्ष 1962 द्वारा प्रतिस्थापित)

धारा 39. परिबद्ध लिखतो के स्टांप करने की उपायुक्त की शक्ति- (1) जब उपायुक्त धारा 33 के अधीन किसी लिखत को परिबद्ध करता है या धारा 37 की उपधारा (2) के अधीन स्वयं को भेजे गये किसी लिखत को प्राप्त करता है, जो पन्द्रह नया पैसे से अधिक शुल्क से प्रभार्य लिखत या पच्चीस नया पैसे के शुल्क के साथ धारा-3 के खण्ड (क) या (ख) के अधीन प्रभार्य फसल का बंधक (अनुसूची का अनुच्छेद 1(35) 1(क) नही है, वह निम्न प्रक्रिया अपनायेगा- (1-10-1962 से अधिनियम 29 वर्ष 1962 द्वारा प्रतिस्थापित) (क) यदि इसकी राय है कि इस प्रकार का लिखत सम्यक् स्टांपित है या शुल्क से प्रभार्य नही है, वह इस पर पृष्ठांकन द्वारा प्रमाणित करेगा कि यह सम्यक् स्टांपित है या यह कि यह प्रभार्य नही है, जैसी भी स्थिति हो (ख) यदि इसकी राय है कि इस प्रकार का लिखत शुल्क से प्रभार्य है तथा सम्यक् स्टांपित नही है इसे पाँच रुपये शास्ति के साथ इसे संग्रह करने के लिए आवश्यक समुचित शुल्क या धनराशि का भुगतान करना आवश्यक होगा या यदि वह उपयुक्त समझता है; समुचित शुल्क या इसके कमी वाले भाग के धनराशि से दस गुना से अनधिक धनराशि, चाहे इस प्रकार की धनराशि पाँच रुपये से अधिक होता है या कम पड़ता है: परन्तु, जब इस प्रकार के लिखत को मात्र इसलिए परिबद्ध किया गया है क्योंकि इसे धारा 13 या धारा 14 के उल्लंघन में लिखा गया है, उपायुक्त यदि वह उपयुक्त समझता है इस धारा द्वारा विहित सम्पूर्ण शास्ति को माफ कर सकता है (1-10-1962 से अधिनियम 29 वर्ष 1962 द्वारा प्रतिस्थापित) (2) उपधारा (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत अध्याय 6 प्रत्येक प्रमाणपत्र के अधीन किये गये किसी आदेश के अधीन) इस अधिनियम के प्रयोग हेतु इसके बताये गये मामलों के साक्ष्य का निश्चयात्मक होगा (1. 1-10-1962 से अधिनियम 29 वर्ष 1962 द्वारा प्रतिस्थापित) (3) जहाँ धारा 37 की उपधारा (2) के अधीन लिखत उपायुक्त को भेजा गया है, उपायुक्त जब इसने विचार किया है जैसा इस धारा द्वारा उपबंधित है इसे परिबद्धकरण अधिकारी को वापस करेगा। (1. 1-10-1962 से अधिनियम 29 वर्ष 1962 द्वारा प्रतिस्थापित)

21.1. अधिनियम की धारा 33 का शीर्षक लिखतो की परीक्षा तथा परिबद्धकरण है। प्रावधान का उद्देश्य व्यक्तियों को यह बताये जाने पर इन लोगों द्वारा पेश लिखतो को वापस लेने से अशक्त करना है कि समुचित स्टांप शुल्क तथा शास्ति अदा किया जाना चाहिए।

21.1.1 व्यक्ति जो अपर्याप्त तरीके से/अनुचित तरीके से स्टांपित लिखत पर भरोसा करना चाहता है के पास अधिनियम की धारा 34 के व्याप्ति के अधीन शुल्क तथा शास्ति अदा करने का विकल्प है। पक्षकार के पास जिला रजिस्ट्रार के समक्ष अधिनियम की धारा 39 के अधीन सीधे तौर पर आवेदन देने तथा स्टाम्प शुल्क तथा शास्ति जैसा अधिरोपित किया जाय के कमी को वसूलने का विकल्प होता है। दोनों मामलों में स्टाम्प शुल्क तथा शास्ति के कमी को अदा किये जाने के पश्चात्, अधिनियम की धारा 35 के अधीन किये गये परिबद्धकरण को मुक्त किया जाता है तथा साक्ष्य के रूप में भरोसा करने के लिए पक्षकार को लिखत

उपलब्ध कराया जाता है। उस दशा में, पक्षकार स्टाम्प शुल्क तथा शास्ति को वसूलने के लिए दस्तावेज उपायुक्त को भेजवाने के लिए प्रस्तुत करता है, न्यायालय/प्रत्येक व्यक्ति के पास दस्तावेज जिला रजिस्ट्रार को भेजने के सिवा अन्य विकल्प नही होता है। उपरोक्त के संबंध में आपत्ति यह है कि न्यायालय/प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 34 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने के पहले, पक्षकार द्वारा विकल्प का प्रयोग किया जाना चाहिए।

21.2. अधिनियम की धारा 34 का शीर्षक लिखत जो सम्यक् स्टांपित नही है साक्ष्य में अग्राह्य होता है। यह प्रावधान साक्ष्य में लिखत के ग्रहण को तब तक वर्जित करता है जब तक पर्याप्त स्टांप शुल्क तथा शास्ति अदा नही किया जाता है। स्टाम्प शुल्क तथा शास्ति के कमी को वसूलने के लिए इस प्रकार अधिकृत प्रत्येक व्यक्ति के पास स्टांप शुल्क के कमी के शास्ति के दस गुना का उद्ग्रहण तथा वसूलने के सिवा विवेकाधिकार नही होता है।

21.3. अधिनियम की धारा 35 का शीर्षक लिखत का ग्रहण जहाँ आपत्ति नही किया जाता है। धारा 35 साक्ष्य में अपर्याप्त तरीके से स्टांपित लिखत के ग्रहण पर आपत्ति करने का निषेध करता है।

21.4 अधिनियम की धारा 37 का शीर्षक परिबद्ध लिखत, कैसे निपटाया जाता है। यह धारा तब पैदा होता है जब पक्षकार शुल्क तथा शास्ति के कमी को अदा करता है, न्यायालय को अधिनियम की धारा 33 के अधीन लिखत परिबद्ध करना होता है तथा लिखत उपायुक्त/जिला कलेक्टर को अग्रेसित करना होता है अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (2) धारा 34 तथा 36 के अधीन न आने वाले मामलों से संबंधित है तथा लिखत का परिबद्धकरण करने वाला व्यक्ति इसे आरम्भ में उपायुक्त को भेजेगा। इसमें पैरा 21.1.1 में वर्णित अत्यावश्यकताएँ शामिल है।

21.5 विनियामक तथा उपचारात्मक कानून होने के नाते, पक्षकार जो विनियम का पालन करता है, तथा अधिनियम की धारा 34 या 39 के अनुसार स्टाम्प शुल्क तथा शास्ति अदा करता है, अधिनियम की धारा 33 से निकलने वाला विधिक आक्षेप मिट जाता है तथा दस्तावेज को साक्ष्य में ग्रहण किया जाता है। दूसरे शब्दों में, स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत आक्षेप अब और मुकदमा लड़ने वाले पक्षकार को उपलब्ध नही है।

21.6 अधिनियम की धारा 39 का शीर्षक स्टाम्प लिखतो को परिबद्ध करने की उपायुक्त की शक्ति है। यह धारा लिखतो को स्टांपित करते समय जिसे अधिनियम की धारा 33 के अधीन परिबद्ध किया जाता है उपायुक्त/जिला रजिस्ट्रार द्वारा पालन किये जाने वाले प्रक्रिया का उपबंध करता है। अधिनियम की धारा 39(1)(ख) के अनुसार, शास्ति को देय स्टाम्प शुल्क के दस गुना तक बढ़ाया जा सकता है, फिर भी दस गुना दूरतम सीमा है जो मात्र काफी दूरतम

स्थितियों के लिए अभिप्रेत है। इसलिए, उपयुक्त/ जिला रजिस्ट्रार के पास आनुपातिक शास्ति का उदग्रहण करने तथा वसूल करने का विवेकाधिकार है।

21.7. शुल्क तथा शास्ति के कमी को अदा करते हुए/जमा करते हुए अनुसरित तथा पूरा किये गये उपरोक्त चरणों के परिणामस्वरूप लिखत अधिनियम के जाँच सूची के अनुरुप हो जायेगा। अंतिमता विभिन्न आकस्मिकताओं को हल करते हुए अधिनियम द्वारा विचारित न्यायपूर्ण अपवादों के अधीन है।

21.8 स्कीम दस्तावेज के पक्षकार को सर्वप्रथम प्रत्यक्ष रूप से जिला रजिस्ट्रार के अधिकारिता का अवलंब लेने तथा शुल्क तथा शास्ति के शर्त का अनुपालन करने के पश्चात न्यायालय/प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष लिखत प्रस्तुत का निषेध नही करता है। इस प्रकार की स्थिति में, अधिनियम की धारा 33 या 34 के अधीन उपलब्ध आक्षेप को पहले से ही मिटा दिया गया है। शास्ति की प्रमात्रा प्रमुख रूप से अधिकारी/न्यायालय तथा विरोधी पक्षकार के बीच है जिसमें पास उन्मोचन की भूमिका कम है।

22. पहले के पैरा में सार संक्षेपित कदमों को परिप्रक्ष्य में रखते हुए मामले के परिस्थितियों में वापस आते हैं, हम देखते है कि साक्ष्य में लिखत के ग्रहण के प्रक्रम के पहले प्रत्यर्थी ने स्टांप शुल्क के कमी पर आक्षेप उठाया था। इसलिए, प्रत्यर्थी जिसे वाद करार को परिबद्ध कराया जाना तथा तत्पश्चात् अधिनियम की धारा 39 के अधीन विचार करने के लिए जिला रजिस्ट्रार को भेजना आवश्यक था। इस मामले में, प्रत्यर्थी ने वाद करार को परिबद्ध करने तथा स्टाम्प शुल्क एवं शास्ति के कमी को वसूलने की इच्छा व्यक्त किया था विचारण न्यायालय को अभी अधिनियम की धारा 34 के अधीन अपने अधिकारिता का प्रयोग करना है। इसके विपरीत, विचारण न्यायालय ने जिला रजिस्ट्रार से रिपोर्ट मांगा है, इसलिए सभी प्रयोजनों हेतु वाद करार को अभी भी एक या अन्य चरणों पर पैरा 21 में सार संक्षेपित किया जाता है। इसलिए, प्रत्यर्थी के अनुरोध के अनुसार चलते हुए, विकल्प जिला रजिस्ट्रार के निर्णय पर छोड़ा जाता है। इन स्वीकृत परिस्थितियों के विरुद्ध, यद्यपि, वाद करार अपर्याप्त तरीके से स्टांपित है, फिर भी आक्षेपित आदेशों के द्वारा अधिनियम की धारा 34 के अधीन दस गुना शास्ति अधिरोपित किया गया है। इस मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों में इस समय पर दस गुना शास्ति का अधिरोपण अवैध तथा पैरा 21 में सार संक्षेपित चरणों के विरुद्ध है। लिखत जिला रजिस्ट्रार को भेजा जाता है, तत्पश्चात जिला रजिस्ट्रार अधिनियम की धारा 39 के अधीन अपने अधिकारिता के प्रयोग में लिखत पर देय स्टाम्प शुल्क तथा शास्ति के प्रमात्रा का विनिश्चय करता है। आक्षेपित आदेशों द्वारा अपीलार्थी को इस विकल्प से वंचित किया गया है। यह घिसी पिटी विधि है कि अपीलार्थी को अदा करना चाहिए जो देय है, सिर्फ जैसा जिला रजिस्ट्रार द्वारा विनिश्चित है तथा न कि अधिनियम की धारा 34 के अधीन न्यायालय द्वारा।

23. अतः, उपरोक्त कारणों पर, स्टांप शुल्क के कमी के शास्ति का दस गुना अदा करने का निदेश हस्तक्षेपयोग्य है तथा तद्नुसार अपास्त किया जाता है। विचारण न्यायालय को विक्रय करार दिनांक 29-06-1999 जिला रजिस्ट्रार को देय स्टाम्प शुल्क तथा शास्ति का निर्धारण करने के लिए भेजने का निदेश दिया जाता है। अधिनियम के अन्तर्गत आक्षेप के संदर्भ के बिना जिला रजिस्ट्रार से अनुपालन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात, वाद दस्तावेज को साक्ष्य में ग्रहण किया जाय। उपरोक्त के सिवा प्रत्यर्थीगण को उपलब्ध सभी आक्षेपों को विचारार्थ खुला छोड़ा जाता है।

24. अपीलों को भागिक अनुज्ञात किया जाता है, जैसा ऊपर संकेत किया गया है।

मामले का परिणाम: अपीले भागिक अनुज्ञात

दिव्या पाण्डेय द्वारा शीर्ष टिप्पणियाँ तैयार की गई।

(यह अनुवाद शिवा कान्त तिवारी पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया)